संदर्भ: आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/जीडीएल/31/01/2024 31 जनवरी, 2024
Ref: IRDAI/HLT/CIR/GDL/31/01/2024 31st January, 2024

प्रति / To,
सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता (ईसीजीसी और एआईसी को छोड़कर)
All General and Health Insurers (Except ECGC & AIC)

विषय: स्वास्थ्य बीमा पालिसियों में आयुष कवरेज देने संबंधी दिशानिर्देश
Sub: Guidelines on providing AYUSH coverage in Health Insurance policies.

हाल में आयुष चिकित्साओं ने संवर्धित लोकप्रियता प्राप्त की है तथा वे आयुर्विज्ञान की एक स्थापित शाखा बन गई हैं। आयुष चिकित्साओं के लिए बढ़ती हुई माँग को ध्यान में रखते हुए, इन चिकित्साओं को अन्य चिकित्साओं के समकक्ष रूप में मानने की आवश्यकता है।
In recent times, AYUSH treatments have garnered increased popularity and have become an established branch of medicine. Considering the growing demand for AYUSH treatments, there is a need to consider these treatments at par with other treatments.

तदनुसार, सभी बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित का अनुपालन करने के लिए सूचित किया जाता हैः
Accordingly, all insurers are advised to comply with the following:

1. बीमाकर्ताओं के पास आयुष कवरेज देने के लिए एक बोर्ड अनुमोदित नीति होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, स्वास्थ्य बीमा के प्रयोजन के लिए आयुष चिकित्साओं को अन्य चिकित्साओं के समकक्ष रखने के विषय में उनका दृष्टिकोण शामिल होगा, जिससे पालिसीधारकों को अपनी पसंद की चिकित्सा का चयन करने के लिए एक विकल्प उपलब्ध कराया जा सके। उक्त नीति में नकदीरहित सुविधा देने के प्रयोजन हेतु नेटवर्क प्रदाताओं के रूप में आयुष अस्पतालों/डे केयर केन्द्रों के नाम दर्ज करने के लिए गुणवत्ता के मानदंड एवं प्रक्रिया भी निहित होंगे।
   Insurers shall have a Board approved policy for providing AYUSH coverage, which *interalia,* shall include their approach towards placing AYUSH Treatments at par with other treatments for the purpose of health insurance so as to provide an option for the policyholders to choose treatment of their choice. The policy shall also contain the quality parameters as well as procedure for enrolling AYUSH Hospitals/Day Care Centers as network providers for the purpose of providing cashless facility.

2. बीमाकर्ता अपने वर्तमान उत्पादों में आशोधन करेंगे जो आयुष चिकित्साओं के लिए सीमाओं को नियंत्रत करेंगे तथा उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
   Insurers shall modify their existing products that contain limitations for AYUSH Treatments and ensure compliance with above directions.

3. बीमाकर्ताओं के पास निम्नलिखित के लिए पर्याप्त नियंत्रण एवं मानक परिचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) होंगी -
   Insurers shall have adequate controls as well as Standard Operating Procedures(SOP) for -

   क. अपने नेटवर्क में अस्पतालों के नाम दर्ज करना;
   a. enrolling hospitals into their network;
   ख. आयुष अस्पतालों/डे केयर केन्द्रों के साथ अपने स्वास्थ्य सेवा करारों में आवश्यक खंड रखना;
   b. placing necessary clauses in their health services agreements with AYUSH Hospitals/Day Care Centers;

ग. मानक चिकित्सा की आचरण-संहिताएँ (प्रोटोकाल्स); तथा
c. standard treatment protocols; and
घ. संभव धोखाधड़ियों और उक्त प्रणाली के दुरुपयोग, यदि कोई हो, के संबंध में कार्रवाई करना।
d. dealing with the possible frauds and abuse of the system, if any.

4. बीमाकर्ता भारत सरकार, आयुष मंत्रालय द्वारा कार्यालय ज्ञापन सं. टी.12020/02/2017 - डीसीसी (आयुष) दिनांक 04.10.2023 के अनुसार गठित बीमा क्षेत्र के लिए विशेषज्ञों के मुख्य दल के साथ सक्रिय रूप से सहबद्ध रहेंगे तथा आयुष कवरेज देने के लिए अपेक्षित तौर-तरीके विकसित करेंगे।
The Insurers shall actively engage with the *Core Group of Experts for Insurance Sector* constituted by Ministry of AYUSH, Government of India vide OM No. T.12020/02/2017 - DCC(AYUSH) dated 04.10.2023 and develop required modalities for providing AYUSH Coverage.

5. यह परिपत्र 01.04.2024 से प्रवृत्त होगा।
This circular will come into force w.e.f 01.04.2024.

यह परिपत्र आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) (ख) के अनुसार जारी किया जाता है।
This Circular is issued in terms of Section 14(2) (b) of IRDA Act,1999.

डिजिटली हस्ताक्षरित / Digitally Signed
ए. रमण राव
A. Ramana Rao

मुख्य महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) / CGM (Health)